

पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
अहमद खान
/ अतः पत्रावली
दिनांक 19.12.14 को पेश हो।

प्राज्ञा है

19/12/14 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशाबुलार वाले
कायमी तनकीयाह दिनांक 13.2.15 को पेश है।

13/12/15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
अहमद खान
/ अतः पत्रावली
दिनांक 13/12/15 को पेश हो।

प्राज्ञा है

13/12/15 पत्रावली पेश हुई / पीठासीन अधिकारी
अहमद खान
/ अतः पत्रावली
दिनांक 10/12/15 को पेश हो।

प्राज्ञा है

10/12/15 बकूलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी जनसुभवाइमे होने से
प्रकरण दि. 15/12/15 को पेश हो।

15/12/15 बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने पत्रावली को
लोक अदालत में रेफर करने के लिये
आवेदन किया। निम्नी पक्षकार को नोटिस
जारी हो व दिनांक 20.12.15 को पेश हो।

15/12/15 पत्रावली आज राज्य लोक अदालत / बैम्प
कोर्ट अधिवान मु० नाण्डवा पर पेश हुई। वही
एव प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से प्रकरण बैम्प
कोर्ट में लिखा जाकर पत्रावली का कपलोकन
किया गया। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण
वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करते
हैं इस लिये उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा में पाबन्द
किया जावे एवं वादीगण के पितर की मृत्यु होने

Handwritten signature

दिनांक, तारीख, कति


तारीख
हुकम


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
की तामील में जा

इव वादीगण उनके वादीगत होने से वादग्रस्त
आराधियात का वादी के खातेदार कारतकार
धोषित किया जावे। पगावली के अवलोकन के
वादग्रस्त आराधियात का कुला खातेदार कारतकार
है इव मणमें आम बताया कि कुला फौत
है ठुका है इव कुला के वादीस वादीगण है।
उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद
स्वीकार किया जाना इमित उचित होता है।

कित: उपरोक्त विवेचन के आधार
पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है
इव मौजा कुतरमारिया पट्टाट क्षेत्र में
तहसील कोयडा की जमाबंदी संवत् 2066 से
2069 के खाता संख्या 11 में वर्णित आराधियात
कित 13 कुल रकबा 33.07 बीघा इव
अमि का वादीगण लालु, हका पिता कुला
के खातेदार कारतकार धोषित किया
जाता है इव वादी के कल्पे कारत में
दखलदाजी हेतु प्रतिवादीगण को जरिये
स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।
(पगावली निर्णित होकर संख्या से का है।)
निर्णय सुनाया गया।


सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा


उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)